Since March 2002
A National, Registered, Peer Reviewed & Refereed Monthly Journal
Economics
Research Link - 174, Vol - XVII (7), September - 2018, Page No. 16-18
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

जनपद सुलतानपुर में प्राथमिक क्षेत्र की समस्याएँ

प्रस्तुत शोधपत्र में जनपद सुलतानपुर में प्राथमिक क्षेत्र की समस्याओं पर विचार किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में विकासखण्ड वार प्रतिलाख जनसंख्या पर बैंकों का औसत 3.56 है, जिसका क्षेत्रीयान्तर विकासखण्ड गौरीगंज 6.52 प्रतिशत से लेकर विकासखझ मुसाफिरखाना 1.82 प्रतिशत तक पाया गया है, जो जनसंख्या की दृष्टि से अपर्याप्त है। अतः बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाकर प्रतिलाख जनसंख्या का दबाव कम करने की आवश्यक है। ताकि लोगों को लेन-देन करने में आसानी हो और अनावश्यक लाईन लगाने से बचाया जा सके। यद्यपि ई-बैंकिंग के द्वारा समस्याएँ कम हो रही हैं।

डॉ.वीना उपाध्याय

विकास मानवीय आवश्यकताओं एवं मानव जीवन की गुणवत्ता के लिए प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का एक ऐसा उपयोग एवं परिष्कार है, जो वैकल्पिक कार्यो के उल्पकालिक एवं दीर्घकालिक लाभ–हानि का सम्यक् ध्यान रखे। एतदर्थ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक कारकों पर सजग समदृष्टि आवश्यक है, जिससे सामाजिक दृष्टि से वांछित तथा आर्थिक दृष्टि से संपुष्ट विकास संभव हो सके, परन्तु बहुत समय तक विकास भाब्द आर्थिक विकास का पर्याय बना रहा, जबकि विकास के अन्तर्गत मात्र आर्थिक विकास ही नहीं प्रत्युत राष्ट्र के समस्त नागरिकों को समुचित आहार एवं सेवा का सुअवसर सुलभ कर उनके बीच आर्थिक अन्तर कम करने के उपयुक्त दशाओं और परिस्थितियों का विवेचन आवश्यक है।

प्राथमिक अवस्था में देश के अधिकांश संसाधन कृषि व्यवसाय में लगे होते हैं, तथा उद्योग–धन्धे भी बहुत ही पिछड़ी हुई अवस्था में होते हैं। कृषि उत्पादन साधन भी बहुत पुराने होते हैं तथा वैज्ञानिक साधनों को काम में नहीं लाया जाता है। इससे प्राथमिक क्षेत्र में होने वाला कृषि उत्पादन एक सीमा पर ही स्थिर हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकि का उपयोग दिखायी नहीं पड़ता है। समाज में राजनैतिक सत्ता बड़े–बड़े भूमि–पतियों के हाथ में केन्द्रित होती है। इन सबके परिणामस्वरूप इस अवस्था में–

(1) उत्पादन का स्तर निम्न एवं प्रति व्यक्ति आय न्यून होती है।

(2) समाज का संगठन जातिवाद एवं परिवारिक सम्बंधों पर आधारित होता है।

(3) देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था दुर्बल एवं अविकसित अवस्था में होती है।

द्वितीय अवस्था आत्मस्फूर्ति से पूर्व की होती है, जिसमें समाज वैज्ञानिक विधियों एवं तकनीकों का प्रयोग करने लगता है और परम्परावादी विधियों को छोड़ने लगता है। इस अवस्था में समाज के द्वारा बचत करने, उसको विनियोग करने एवं लाभ वृद्धि करने का प्रयत्न किया जाता है। इससे वाणिज्य एवं व्यापार का विस्तार होता है। नये–नये निर्माण कार्य होने लगते हैं तथा नये–नये प्रकार की संस्थाएँ खुलने लगती हैं। भूमि पतियों का प्रभुत्व कम होने लगता है। राजनीतिक चेतना आने लगती है। सामाजिक रूचियों में भी परिवर्तन होने लगते हैं। प्रो0 रोस्टोव के अनुसार– इस अवस्था में पूँजी निवेश की मात्रा 10.0 प्रतिशत तक पहुँच जाती है, ताकि प्रति व्यक्ति उत्पादन भी बढ़ जाता है। ग्रामीण जनख्या, सड़कों व अन्य साधनों में वृद्धि होने के कारण शहरों में आकर बसने लगती है। इस अवस्था में खाद्यान्नों का उत्पादन आवश्यकतानुसार होने लगता है। औद्योगिक कच्चे माल का उत्पादन भी बढ़ने लगता है। कृषि क्षेत्र की बचत उद्योगों में विनियोजित होने लगती है। सुलतानपुर जनपद में समन्वित ग्रामीण विकास के लिए निम्न कार्यक्रम चलाये गये हैं, जवाहर रोजगार योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, कृषि ऋण योजना, निर्बल आवास योजना, इन्दिरा आवास योजना, महिला डेयरी योजना, मातृत्व कल्याण योजना, समन्वित बाल विकास योजना, दुग्ध संग्रह केन्द्र एंव राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 'नरेगा', 'महामाया आवास योजना' आदि।

कृषि विकास :

अध्ययन क्षेत्र का आर्थिक स्वरुप मुख्यतः कृषि पर आधारित है। जनपद का विकास बहुत अंशों तक कृषि विकास पर निर्भर है, जिसके लिए कृषि प्रसार सेवाओं के स्तर एवं स्थिति का उचित निर्धारण नितान्त आवश्यक है। सुलतानपुर जनपद में पाँच सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास की सुविधाएँ सुलभ हैं। विशेषतः तहसील एवं विकास मुख्यालयों पर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जिला सहकारी

सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र विभाग), स्व.रामराज वर्मा महाविद्यालय, सारंगपुर, सुलतानपुर (उत्तरप्रदेश)

बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएँ विद्यमान हैं। ये बैंक ग्रामीण कृषकों की बचत के लिए सुरक्षा एवं कृषि विकास लिए ऋण प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त सुलतानपुर जनपद में कृषि विकास हेतु 185 कृषि ऋण सहकारी समिति, 763 बीज विक्रय केन्द्र, 1462 उर्वरक विक्रय केन्द्र, 38 कृषि रक्षा इकाई, 285 कीटनाशक विक्रय केन्द्र, 97 ग्रामीण गोदाम, तथा तीन कृषि मण्डी स्थापित हैं। क्षेत्र के लोगों की दैनिक आवश्यकता से सम्बन्धित सम्पूर्ण समितियाँ बाजार केन्द्र जनपद मुख्यालय विकास खण्ड एवं तहसील मुख्यालय तथा अन्य ग्रामीण बाजारों से प्राप्त होती है। जनपद के प्रसार सुविधाओं के अन्तर्गत गाँवों में सहकारी समितियाँ तथा किसान मित्र आदि बनाये गये हैं। इसके साथ ही साधन सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण जन समुदाय को सस्ता गल्ला, चीनी, मिटटी का तेल, उन्नतशील बीज एवं उर्वरक की आपूर्ति की जाती है।

तालिका संख्या 1 : सुलतानपुर जनपद में कृषि विकास हेतु सुविधाएँ (2014–15)

क्र0	कृषि विकास के साधन	सहकारी विभाग	कृषि विभाग	अन्य विभाग	योग
1.	कृषि ऋण सहकारी समिति	185	00	00	**185**
2	बीज विक्रय केन्द्र	210	25	528	**763**
3	उर्वरक विक्रय केन्द्र	212	00	1250	**1462**
4	कृषि रक्षा इकाई	28	10	00	**38**
5	कीटनाशक विक्रय केन्द्र	19	23	243	**285**
6	ग्रामीण गोदाम	22	05	70	**97**
7	सहकारी कृषि एवं ग्राम्य बैंक	08	05	00	**13**
8	कृषि इकाई	04	05	00	**09**
योग		**688**	**73**	**2091**	**2852**

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सुलतानपुर।

भण्डारण की समस्या :

अध्ययन क्षेत्र में खाद्यान्न भण्डारण हेतु कुल 21 भण्डार गृह बनाए गए हैं, जिसमें कुल 10399 मी0टन खाद्यान्न का भण्डारण किया जा सकता है। परन्तु उत्पादन क्षमता को देखते हुए यह गोदाम बहुत कम हैं। इसलिए भण्डार गृहों के अभाव में निवासी कृषक अपने उत्पादित फसल को नुकसान होने से बचाने के लिए कम मूल्य पर बिचौलिए को बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। यदि भण्डारण क्षमता बढ़ा दी जाए, तो कृषकों को अपने तैयार माल की उचित कीमत मिल सकेगी।

तालिका संख्या 2 : सुलतानपुर में खाद्यान्न भण्डारण की संख्या एवं क्षमता

क्र0	मद	2010–2011		2014–15	
		संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता
1	भारतीय खाद्य निगम	3	1000	4	1500
2	केन्द्रीय भण्डार निगम	0	0	0	0
3	राज्य भण्डार निगम	3	6983	4	8983
4	राज्य सरकार	15	2411	16	2511
5	सहकारिता	0	0	0	0
6	अन्य	0	0	0	0

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका जनपद, सुलतानपुर।

प्रति 100 वर्ग कि0मी0 पर ग्रामीण गोदाम :

अध्ययन क्षेत्र में प्रति 100 वर्ग कि0मी0 पर ग्रामीण गोदामों का औसत 33.40 प्रतिशत है। जिसका क्षेत्रीयान्तर विकासखण्ड दूबेपुर 47.33 प्रतिशत से लेकर विकासखण्ड भेटुआ 22.43 प्रतिशत पाया गया है। शेष विकासखण्डों की स्थित दोनों के मध्य पायी गयी है, जो भण्डारण की दृष्टि से अपर्याप्त है।

प्रति 100 वर्ग कि0मी0 पर सहकारी ऋण समितियाँ :

अध्ययन क्षेत्र में प्रति 100 वर्ग कि0मी0 पर सहकारी ऋण समितियों का औसत 4.99 प्रतिशत पाया गया है। जिसका क्षेत्रीयान्तर विकासखण्ड मुसाफिरखाना 5.29 प्रतिशत से लेकर विकासखण्ड भेटुआ 3.03 प्रतिशत तक पाया गया है, जो आवश्यकता की दृष्टि से अपर्याप्त है। किसान खरीफ एवं रबी फसलों की बुआई हेतु बीजों एवं खादों का क्रय करते हैं, जो दूरी अधिक होने के कारण समय पर पहुँच नहीं पाते हैं, न ही इन केन्द्रों पर हर समय बीज एवं खाद उपलब्ध रहती है, इसलिए सहकारी समितियों के विस्तार की आवश्यकता है।

प्रति 100 वर्ग कि0मी0 पर उर्वरक केन्द्र :

अध्ययन क्षेत्र में प्रति 100 वर्ग कि0मी0 उर्वरक केन्द्रों का औसत 29.33 प्रतिशत है। जिसका क्षेत्रीयान्तर विकासखण्ड दूबेपुर 51.49 प्रतिशत से लेकर विकासखण्ड कादीपुर 19.02 प्रतिशत तक पाया गया है। अन्य विकासखण्डों की स्थित दोनों के मध्य पायी गयी है। क्षेत्र में उर्वरक केन्द्र 3 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है। इसलिए कृषकों को उर्वरक केन्द्रों पर उर्वरक लेने के लिए पूरे दिन का समय देना पड़ता है। अतः प्रस्ताव किया जाता है कि जनपद में उर्वरक केन्द्रों में वृद्धि की जाए, ताकि उर्वरक कृषकों को उनके गाँव या निकटतम बाजार केन्द्रों पर आसानी से मिल सके और आने जाने में अधिकतम 30 मिनट का समय लगे।

शैक्षिक समस्या :

अध्ययन क्षेत्र में कुल 2499 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें 1923 प्राथमिक विद्यालय ग्राम में स्थित हैं तथा 1 कि0मी0 से कम दूरी पर एक भी प्राथमिक विद्यालय स्थापित नहीं है। 1–3 कि0मी0 की दूरी पर 490 प्राथमिक विद्यालय, 3–5 कि0मी0 की दूरी पर 58 तथा 5 कि0मी0 से अधिक दूरी पर क्षेत्र में 28 प्राथमिक विद्यालय स्थित हैं। जो गमनागमन की दृष्टि से असाध य हैं, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में 5–10 आयु वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें प्रतिदिन 5 कि0मी0 की दूरी तय करने में 1 घन्टे से कम समय नहीं लगेगा। ऐसी दशा में क्षेत्र में प्रत्येक 150–200 जनसंख्या वाले राजस्व ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव किया जाता है।

जनपद सुलतानपुर में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 2499 है। जिनमें 64 विद्यालय प्राथमिक विद्यालयों को उच्चीकृत करके ग्रामों में स्थापित किया जा चुका है। 1–3

कि0मी0 की दूरी पर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या क्षेत्र में 827, 3–5 कि0मी0 की दूरी स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 461 तथा 5 कि0मी0 से अधिक दूरी के विद्यालयों की संख्या 1147 है, जो अपर्याप्त है। इसलिए प्रस्ताव किया जाता है कि प्राथमिक विद्यालयों को उच्चीकृत करके इनकी संख्या में कमी की जाए, ताकि छात्रों को आने जाने में समय कम लग सके।

अध्ययन क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 2499 है, जो 0–5 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक माध्यमिक विद्यालय 1738, 05 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है। जबकि 1–3 कि0मी0 की दूरी पर 337 तथा 3–5 कि0मी0 की दूरी पर 378 माध्यमिक विद्यालय स्थित है। अतः प्रस्ताव किया जाता है कि प्रत्येक 1000 तक जनसंख्या वाले सभी ग्रामों में माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं, ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए कम से कम 30 मिनट का समय विद्यालय में पहुँचने का लगे।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :

अध्ययन क्षेत्र में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या 2499 है, जिसमें 41 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र गाँव में, 238 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र 1–3 कि0मी0 की दूरी पर, 241 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र 3–5 कि0मी0 की दूरी पर तथा 1979 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र 5 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित हैं। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में 14 वर्ष से अधिक अशिक्षित बच्चे तथा ग्राम के अशिक्षित बुजुर्ग दम्पति अध्ययन हेतु आते हैं। बढ़ती उम्र में उन्हें प्रायः चलने–फिरने में परेशानी होती है, ऊपर से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अतः प्रस्ताव किया जाता है कि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र अध्ययन क्षेत्र के ग्रामों में खोले जाएं, ताकि लोगों को आने–जाने में कोई परेशानी न उठानी पड़े।

बैंकिंग ऋण सम्बंधी समस्याएँ :

अध्ययन क्षेत्र में विकासखण्ड वार प्रतिलाख जनसंख्या पर बैंकों का औसत 3.56 है, जिसका क्षेत्रीयान्तर विकासखण्ड गौरीगंज 6.52 प्रतिशत से लेकर विकासखण्ड मुसाफिरखाना 1.82 प्रतिशत तक पाया गया है, जो जनसंख्या की दृष्टि से अपर्याप्त है। अतः बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाकर प्रतिलाख जनसंख्या का दबाव कम करने की आवश्यक है। ताकि लोगों को लेन–देन करने में आसानी हो और अनावश्यक लाइन लगाने से बचाया जा सके। यद्यपि ई–बैंकिंग के द्वारा समस्याएँ कम हो रही हैं।

अन्य समस्याएँ :

क्षेत्र में अन्य समस्याओं में मुख्य समस्या विघुत, स्वच्छता, पेयजल की है। जनपद की सांख्यिकीय पत्रिकाओं में जनपद के समस्त ग्राम विद्युतीकृत दर्शाए गए हैं, परन्तु बिजली का रोस्टर ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र का अलग–अलग है। गाँवों में बिजली 8–10 घन्टे मिलती है। वह तब आती है, जब लोग खाना–खाकर सो जाते हैं और जागने के पहले विद्युत कट जाती है। इस प्रकार ग्रामों में बिजली से कोई गुणात्मक लाभ नहीं हो पा रहा है। कृषक रात में खेतों की सिंचाई करने को मजबूर है। अतः आवश्यकता है कि बिजली का रोस्टर बदला जाए और अधिक से अधिक बिजली दिन में दी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्वच्छता अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। वह जाति प्रेरित या वर्ग प्रेरित नही होने के कारण उसका लाभ सभी ग्रामीणों को मिल पा रहा है। स्वच्छता के लिए शौचालयों के निर्माण में सभी लोगों को अनुदान पर बनवाने के लिए सहायता राशि उपलब्ध करायी जाए।

संदर्भ :

(1) सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग जनपद सुलतानपुर, वर्ष 2010.

***(2)** उपाध्याय, राकेश (1998) : समन्वित क्षेत्रीय ग्रामीण विकास।*

***(3)** मिश्रा, पी0एल0 एण्ड मिश्रा एम0 : ग्रामीण संचार का महत्व (ग्रामीण विकास संकल्पना,उपागम एवं मूल्यांकन)।*

***(4)** गोसल, जी0एस0 एण्ड गोपाल कृष्णन (1979) : रिजनल डिस्पैरिटीज् इन लेवल आफ सोसियो इकोनामिक डेवलपमेन्ट इन पंजाब, जाग्रफी डिपार्टमेन्ट पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़, पृष्ठ 64–70.*

***(5)** सिंह, नीना (1998) : एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड डेवलपमेन्ट आफ इंडियन स्टेट, अनमोल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।*

❁❁

A National, Registered, Peer Reviewed & Refereed Monthly Journal
Economics
Since March 2002
Research Link - 174, Vol - XVII (7), September - 2018, Page No. 19-20
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

सीधी जिले में भूमिहीन कृषि श्रमिकों की संरचना एवं आर्थिक स्थिति : एक अध्ययन

प्रस्तुत शोधपत्र में सीधी जिले में भूमिहीन कृषि श्रमिकों की संरचना एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया गया है। सीधी जिले में स्थाई रुप से काम करने वाले भूमिहीन कृषि श्रमिक बहुत ही कम हैं। सर्वेक्षित 260 परिवारों में केवल 28 परिवारों के कृषि श्रमिक ही वर्षभर कृषि कार्य में नियोजित रहते हैं। इन्हें सेवायोजक से कुछ सवैतनिक अवकाश भी प्राप्त हो जाते हैं। यह लाभ उनके आपसी सम्बंधों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर यद्यपि सेवायोजक एवं श्रमिकों के सम्बंध में सामान्य ही हैं। भूमिहीन श्रमिकों की आर्थिक दशा इतनी खराब है कि कृषि श्रमिक दोषारोपण उन पर करना नहीं चाहते हैं। जिले के गाँवों में बड़े किसानों की संख्या बहुत ही कम है, सिंचाई के साधनों की न्यूनतम उर्वरकों का अभाव, कुशल श्रमिकों की अनुपस्थिति, शिक्षा का अभाव, आधुनिक साधनों का अपर्याप्त प्रयोग आदि ऐसे कारण हैं कि जिससे कृषि में उत्पादन फलन बहुत ही कम है।

डॉ.मृत्युन्जय कुमार* एवं असलेन्द्र कुमार जायसवाल**

कृषि राष्ट्र होने के बावजूद भारत में भूमिहीन कृषि श्रमिकों की प्रगति के बारे में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अपनाये गए विकास कार्यों में भी विशेष महत्व नहीं दिया गया। वर्तमान में जबकि विभिन्न योजनाओं के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शासन फुड स्तर पर प्रयासरत है। भूमिहीन कृषि श्रमिकों की समस्याओं एवं कष्टों के निवारण हेतु कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।

सीधी जिले में कुछ वर्षों पूर्व तक मजदूर शब्द का अर्थ केवल संगठित उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों से ही लगाया जाता है। खेतिहर मजदूरों की प्रायः उपेक्षा की जाती रही है। केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारें भी औद्योगिक श्रमिकों की समस्याओं पर वित्तीय सीमाओं को ध्यान देती है। फलस्वरूप जिले में भूमिहीन कृषि श्रमिकों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी। यह वास्तव में एक बड़ी कमी थी।

कृषि मौसमी उद्योग है, सिंचाई के साधन सीधी जिले में बहुत ही कम है। सिंचाई के अभाव के चलते एक बहुत बडे क्षेत्रफल में केवल एक ही फसल की खेती होती है। अतः कृषि श्रमिकों को बहुत बडी सीमा में बेकारी एवं अन्य बेकारी का सामना करना पड़ता है। यद्यपि श्रम की गतिशीलता बढ़ी है, तथापि भूमिहीन कृषि श्रमिकों को गांव से श्शहर जाने के कारण गाँव प्रतिदिन वापस आने पर यातायात व्यय का भार वहन करना पड़ता है। सीधी जिले के गाँवों में किए सर्वेक्षण से भी यह स्पष्ट है कि अधिकार भूमिहीन श्रमिक गाँवों में ही रोजगार प्राप्त करने के उत्सुक हैं, बशर्ते शहरों में जाने के।

सीधी जिले में स्थाई रूप से काम करने वाले भूमिहीन कृषि श्रमिक बहुत ही कम हैं। सर्वेक्षित 260 परिवारों में केवल 28 परिवारों के कृषि श्रमिक ही वर्ष भर कृषि कार्य में नियोजित रहते हैं। इन्हें सेवायोजक से कुछ सवैतनिक अवकाश भी प्राप्त हो जाते हैं। यह लाभ उनके आपसी संबंधों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर यद्यपि सेवायोजक एवं श्रमिकों के संबंध में सामान्य ही हैं। भूमिहीन श्रमिकों की आर्थिक दशा इतनी खराब है कि कृषि श्रमिक दोषारोपण उन पर करना नहीं चाहते हैं। जिले के गाँवों में बड़े किसानों की संख्या बहुत ही कम है, सिंचाई के साधनों की न्यूनतम उर्वरकों का अभाव, कुशल श्रमिकों की अनुपस्थिति, शिक्षा का अभाव, आधुनिका साधनों का अपर्याप्त प्रयोग इत्यादि ऐसे कारण हैं कि जिससे कृषि में उत्पादन फलन बहुत ही कम है।

उक्त तालिका में सीधी जिले में भूमिहीन कृषि श्रमिकों की रोजगार की स्थिति को दर्शाया गया है :

सीधी जिले में भूमिहीन कृषि श्रमिकों की स्थिति

क्र0	विकासखण्ड	रोजगार प्राप्त दिनों की संख्या	स्वयं का कार्य	बेरोजगार दिवस
01	मझौली	215	46	109
02	कुसमी	222	35	65
03	रामपुर नैकिन	210	41	105
04	सिहावल	235	37	115
	औसत	**260**	**43**	**104**

स्त्रोत : सर्वेक्षण पर आधारित।

प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार कृषि वर्तमान में अपेक्षाकृत अधिक दिनों में रोजगार प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। बेरोजगारी के औसत दिवस 104 हैं। पहले भूमिहीन कृषि श्रमिक और अधिक दिनों तक बेरोजगार रहते थे। भूमिहीन श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि के कारण श्रमिक शहरों में जाकर अन्य कार्य भी करते हैं एवं रोजगार प्राप्त कर कर लेते हैं।

**प्राध्यापक, रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मण्डला (मध्यप्रदेश)*
***शोधार्थी (अर्थशास्त्र विभाग), रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्यप्रदेश)*

भूमिहीन कृषि श्रमिकों के पास स्वयं की भूमि बहुत ही कम होती है। श्रमिकों का स्वयं का कार्य परिवार के अन्य सदस्य भी पूर्ण कर लेते हैं। इस कारण इन खेतिहर मजदूरों की स्वयं के दिनों का प्रयोग दूसरे के यहाँ श्रम करके मजदूरी प्राप्त करने में उपयोगी हो जाता है।

कुँजी शब्द : भूमिहीन कृषि श्रमिकों की स्थिति, बेरोजगारी, रोजगार एवं आर्थिक स्थिति में वृद्धि।

उद्देश्य :

(1) भूमिहीन कृषि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने हेतु। (2) भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बेरोजगारी का अध्ययन करने हेतु। (3) भूमिहीन कृषि श्रमिकों का रोजगार दिवस का अध्ययन करने हेतु। (4) भूमिहीन कृषि श्रमिकों के रोजगार के अवसर पर वृद्धि हेतु सरकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु।

परिकल्पना :

(1) भूमिहीन कृषि श्रमिकों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव परिवांछित होंगे। (2) भूमिहीन कृषि श्रमिकों का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव परिवर्तन नहीं होंगे।

भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बेरोजगारी के कारण :

भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में बेरोजगारी की समस्या तो है ही व बेकारी विभिन्न कार्यों में पायी जाती है। देश रोजगार के उतने अवसरों को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं, जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है एवं श्रम की पूर्ति बढ रही है।

सीधी जिले में औसतन भूमिहीन कृषि श्रमिक 104 दिन बेरोजगार रहते हैं। यद्यपि बेरोजगारी की समस्या देशव्यापी है। शनैः–शनैः यह समस्या और विकराल रूप में सामने आ रही है, कोई भी वर्ग या कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है।

भूमिहीन कृषि श्रमिकों में अन्य मजदूरी एवं निम्न जीवन स्तर के साथ ही बेरोजगारी एवं अनियमित कार्यों की समस्या भी हमेशा बनी रहती है। उनकी आय से परिवार के व्यय को पूरा करना तो संभव होता नहीं है, तो वह भी इतनी कम की बेरोजगारी के कुछ दिनों में ही वह केवल उदार पूर्ति का साधन ही बन जाती है।

सीधी जिले में भूमिहीन कृषि श्रमिकों की बेरोजगारी के कारण निम्न है :

(1) निम्न आय : सीधी जिले में भूमिहीन कृषि श्रमिकों की सबसे बडी समस्या निम्न आय है, जिससे भूमिहीन कृषि श्रमिकों के आर्थिक दशाओं में वृद्धि नहीं हो पाती है, जिससे वे अपने परिवार का भरण–पोषण भी नहीं कर सकते एवं उनकी आय इतनी कम होती है कि वे दरिद्रता के कारण श्रमिकों का स्वास्थ्य गिरता जाता है। जीवन निर्वाह भी बहुत ही दुष्कर हो जाता है।

(2) मजदूरी : सीधी जिले में कृषि मजदूरी बहुत ही कम है। हरित क्रान्ति के आगमन के साथ नगर मजदूरी की दरों में वृद्धि होना शुरू हो गई, वास्तविक मजदूरी की दरों में उस हिसाब से वृद्धि नहीं हुई है।

(3) रोजगार एवं काम की परिस्थितियाँ : भूमिहीन श्रमिकों को बेरोजगारी और ठेके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि साल के ज्यादातर समय में उन्हें बेरोजगार रहना पड़ता है, क्योंकि खेतों पर कोई काम नहीं होता और रोजगार के वैकल्पिक स्त्रोत भी मौजूद नहीं होते हैं।

(4) ऋणग्रस्तता : ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग प्रणाली और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वीकृत की जांच प्रक्रिया के अभाव में श्रमिक गैर संस्थागत स्त्रोत जैसे – साहूकारों, जमीदारों, 40 से 50 प्रतिशत ब्याज से काफी उच्च दरों पर ऋण लेना पसंद करते हैं। इस कारण श्रमिक कर्ज के दुष्चक्र में फंसते चले जाते हैं।

(5) निम्न उत्पादकता : भूमिहीन कृषि श्रमिकों की सबसे बडी समस्या निम्न उत्पादकता है भूमिहीन श्रमिक अशिक्षित होने के कारण उन्नत कृषि किस्म के बीजों का चयन नहीं कर पाते हैं।

(6) कृषि श्रम में महिलाओं के लिए कम मजदूरी : सीधी जिले में बालश्रम की घटना काफी उच्च और अनुमानित संख्या है।

(7) प्रवासी श्रम में वृद्धि : हरित क्रान्ति से सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्रों में लाभकारी मजदूरी के रोजगारों में वृद्धि हुई है, जबकि विशाल वारिस अर्ध शुष्क क्षेत्रों में रोजगार के अवसर लगभग ठहर गए।

भूमिहीन कृषि श्रमिकों को रोजगार के अवसर में वृद्धि हेतु उठाये गए कदम निम्न हैं :

(1) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित किया गया जिसका मतलब यह है कि यह अधिनियम भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए लागू हुआ कि नहीं। (2) बंधुआ श्रम का उन्मूलन। (3) आवास साइटों का प्रावधान करना। (4) सीधी जिले में संचालित सरकारी योजनाओं का अध्ययन करना एवं कृषि श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करना। (5) रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजनाओं को लागू करना। (6) ऋण योजनाओं को उपलब्ध करना। (7) सीधी जिले में भूमिहीन कृषि श्रमिकों को कृषि यंत्रों एवं सिंचाई सुविधाओं में योगदान देना। (8) कृषि तकनीकी उपायों को ज्ञात करना। (9) भूमिहीन कृषि श्रमिकों को रासायनिक उर्वरक, उन्नतशील बीज और कीटनाशकों में कार्यक्रम के द्वारा कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। (10) भूमिहीन श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि करना।

सुझाव :

सीधी जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों में कृषि आधारित ऐसे उद्योग धंधों की स्थापना की जानी चाहिए, जिनमें न्यूनतम प्रशिक्षण से भूमिहीन कृषि श्रमिकों को रोजगार मिल सके तथा श्रमिकों के उत्पाद की उसमें खपत हो सके। जैसे – फ्लोर मिल, राइस मिल, तेल कोल्हू, फलों से बनने वाले विभिन्न समान, पापड, बडियां, चिप्स एवं अचार आदि के उद्योग लगने चाहिए तथा उनको देश के दूसरे भागों में भेजने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। भूमिहीन श्रमिकों को ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वहाँ के स्थानीय उत्पाद को ध्यान में रखते हुए लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापाना की जानी चाहिए एवं उच्च मजदूरी की दरों में वृद्धि होने से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिनसे उनका परिवार की आर्थिक दशा में वृद्धि होगी।

संदर्भ :

(1) वार्षिक रिपोर्ट कृषि सुधार श्रमिक भारत सरकार, कृषि मंत्रालय। (2) मिश्रा और पुरी : भारतीय अर्थव्यवस्था। (3) पंचायत दर्पण, अप्रैल 2017. (4) Singh, Ramesh (2016) : Indian Economic, 8th edition, Vol. 6. (5) Kumar P, Anjani, Mishra S (2005) : Total productivity of crop sector in the Indo-Gengetic Plan and of India, India Econ Rev, 42 (1) : 69-72. (6) Economic Survey 2017-18 till 2017. (7) www.india.gov.in (8) www.hindustan times.com to June 2017.

❁❁